संख्या- 63 / 2025 / 62 / चार-2025-1695307

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 11 फरवरी, 2025

विषय:- जनपद आगरा के तहसील बाह के ग्राम बटेश्वर में भारत रत्न अटल बिहारी बाजपेयी सांस्कृतिक संकुल केन्द्र के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 3946/सं0नि0-6(134)/2018-19 दिनांक 03 जनवरी, 2025 के संदर्भ में अवगत कराना है कि जनपद आगरा के तहसील बाह के ग्राम बटेश्वर में भारत रत्न अटल बिहारी बाजपेयी सांस्कृतिक संकुल केन्द्र के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या- 102/2020/535/ चार-2020 दिनांक 20 मार्च, 2020 द्वारा रू0 1336.61 लाख की निर्गत प्रशासकीय स्वीकृति के क्रम में शासनादेश संख्या- 70/2022/194/चार-2022 दिनांक 23 मार्च, 2022 द्वारा परियोजना हेतु रू0 1223.36 लाख की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। प्रश्नगत परियोजना हेतु रू0 1223.36 लाख की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष अब तक रू0 1146.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनपद आगरा के तहसील बाह के ग्राम बटेश्वर में भारत रत्न अटल बिहारी बाजपेयी सांस्कृतिक संकुल केन्द्र के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि रू0 77.36 लाख (रूपये सतहत्तर लाख छत्तीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) शासनादेश संख्या- 102/2020/535/चार-2020 दिनांक 20 मार्च, 2020, शासनादेश संख्या- 70/2022/194/चार-2022 दिनांक 23 मार्च, 2022, शासनादेश संख्या- 180/ 2022/2227/चार-2022 दिनांक 11 अक्टूबर, 2022 तथा शासनादेश संख्या- 92/2023/ 563/ चार-2023 दिनांक 04 मार्च, 2023 में उल्लिखित शर्तें यथावत रहेंगी।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(4) कार्यदायी संस्था द्वारा जिलाधिकारी/ मुख्य विकास अधिकारी से अब तक हुए कार्य की हस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रति शासन एवं संस्कृति निदेशालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(5) प्रश्नगत स्वीकृति संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था- यू0 पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लि0, (यूपीसिडको) द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय/ यू0 पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लि0, (यूपीसिडको) का होगा।

(6) धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था- यू0 पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लि0, (यूपीसिडको) के बैंक खाते में उपलब्ध करायी जायेगी।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 77,36,000/- (रुपये सतहत्तर लाख छत्तीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 092 **लेखाशीर्षक** 4202048004500 मा0 अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में सांस्कृतिक समारोह के आयोजन हेतु स्मृति संकुल **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या - 63 /2025 / 62 (1) /चार-2025-1695307 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
5. प्रबंध निदेशक, यू0 पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लि0, (यूपीसिडको) लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (ई-7) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/3, उत्तर प्रदेश शासन।
8. अधिशासी अभियन्ता, यू0 पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लि0, (यूपीसिडको) आगरा। (ई-मेल- eeupscidcoagra@gmail.com)
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।